[Mr. Deputy-Speaker]

know more if he has anything further to say. Therefore, that will stand over.

What about the other matter?

The Minister of Defence Organisation (Shri Tyagi): I am very sorry to inform the House that it is a fact that 43 personnel, including a J.C.O., were drowned in the river Tawi near Jammu, on the night of 26/27th March during a Divisional Exercise. —There is an exercise of crossing rivers—and that exercise was going on at a place a couple of miles to the south-west of Jammu, where about 1,200 to 1,500 personnel had already crossed the river. Two brigades were crossing the river, and this was the last batch of one of the brigades, and while the batch was crossing, unfortunately this accident occurred and all the 43 personnel got drowned in the river.

Now, a court of inquiry has been appointed by the Western Command to look into the circumstances in which the accident occurred. It will be very early for me to come forward with any reasons because the court of inquiry is looking into the matter. It is surprising indeed that they should have drowned at the tail end after all the other troops had crossed over. It seems to me that this platoon or last part of the company might have strayed and might not have adopted the same path and the same route as others had adopted—may be some mistake of reconaissance or some mistake of their not being able to identify the marks which were placed by the Army. I am not quite sure as to what the reasons were, but the facts are as have been narrated (*Interruption*).

Mr. Deputy-Speaker: No further questions.

Shri V. P. Nayar (Chirayinkil): We want to know the names of the persons drowned because there are lots of people whose families are in consternation over this tragedy.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member suggests that the names of those who were drowned may be given.

Shri Tyagi: Whenever such accidents occur, information is always sent to the next of kin by telegram usually within an hour, and so all the parents or guardians of these boys have already been informed. As regards the reasons, as I have already stated, it will be too early for me to attribute any grounds for the accident. It is being enquired into and I shall be in a position to know it only when I receive the report of the court of inquiry.

DEMANDS* FOR GRANTS—*Contd.*

DEMAND NO. 85—MINISTRY OF REHABILITATION

DEMAND NO. 86—EXPENDITURE ON DISPLACED PERSONS

DEMAND NO. 87—MISCELLANEOUS EXPENDITURE UNDER THE MINISTRY OF REHABILITATION

DEMAND NO. 133—CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF REHABILITATION

Mr. Deputy-Speaker: The House will now continue the consideration of the Demands for Grants for the Ministry of Rehabilitation.

The hon. Minister.

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): श्रीमान जी, कल मैं ने कुछ सवालों का जवाब दिया और कुछ सवाल छोटे छोटे थे कि जिन का जवाब देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हां कुछ सवाल ऐसे हैं जिन के सिलसिले में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

*Moved with the previous sanction the President.

आनरेबिल मेम्बर इला चौधरी ने एक सवाल उठाया था। वह उन मस्लिम माइग्रेंटस की जमीनों और मकानों के बारे में था जोकि हिन्दुस्तान में लौटे आ रहे हैं। कुछ अर्सा पहले मैं खुद नदिया के जिले में गया था और मैं ने वहां के हालात को देखा। वहां पर मुझे यह मालूम हुआ कि ४४ हजार परिवार मुसलमानों के पाकिस्तान गये थे जिन में से कि २८,००० लौट आये हैं और उन में से १३,००० परिवारों को उन के मकान और जमीनें, आपसी समझौते से दे दी गईं। बाकियों का मामला चला जिन में से ५०८१ को उन के कुल मकान और जमीनें दे दी गई हैं और ६१४२ जिन के मामले बाकी थे उन में से २६३३ को जुजवी उन के मकान और जमीनें वापस दे दी गई हैं और ३५०९ के मामले बाकी हैं। इस सिलसिले में हमारी पालिसी यह है कि जो मुस्लिम माइग्रेंट कायदे के मुताबिक और मियाद के अन्दर वापस आये हैं उन की जमीनों पर उन का कब्जा करा दिया जाय और बराबर हमारी यही कोशिश रही है। कुछ जगह हम ने यह देखा कि मुसलमानों के मकानों के अन्दर शरणार्थी बैठे हुए हैं। अब हमारे लिये यह मुश्किल था कि उन को बदले में मकान दिये बगैर हटा देते। चुनांचे हम ने बंगाल गवर्नमेंट को इन लोगों के लिये रुपया दे दिया है कि वह उन को जमीन खरीदने के लिये और मकान बनाने के लिये पैसा दे दे ताकि शरणार्थी अपने मकानों में चले जायें और मुसलमानों के मकान वापस हो जायें। हम यह नहीं चाहते कि किसी मुसलमान के मकान के ऊपर या किसी भी दूसरे हिन्दुस्तान के बाशिन्दे के मकान के ऊपर किसी शरणार्थी का गैरकानूनी कब्जा रहे। बराबर हम इस की कोशिश करते रहे हैं और इस में हम को काफी कामयाबी हासिल हुई है। जितनी यह समस्या और बाकी है उस को भी हम पूरा हल कर देंगे।

Shrimati Renu Chakravartty (Basirhat): Could we have the figures of the 24 Parganas, because that is a big area?

श्री ए० पी० जैन: मेरे पास इस वक्त २४ परगना के फ़िगर नहीं हैं। मैं आनरेबिल मेम्बर के पास वह फ़िगर भेज दूंगा।

एक सवाल श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने उठाया और उन का कहना यह था कि पुरुषार्थियों को बसाने के लिये मुसलमानों की जमीनें ली जा रही हैं। उन्हों ने इस की एक शिकायत भेजी थी। मैं ने उस में तहकीकात की और उस में मुनासिब कार्यवाही की गई। इस के बारे में उन को भी कुछ शिकायत नहीं है।

एक चर्चा उन्हों ने बसीरहाट के बारे में की। मेरे इल्म में यही दो शिकायतें आई हैं।

बहरहाल जहां तक कि हमारी पालिसी का ताल्लुक है हम किसी आदमी को उखाड़ कर, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, शरणार्थियों को बसाना नहीं चाहते। हम यह नहीं चाहते कि जो आदमी बसा हुआ है वह शरणार्थी हो जाय और शरणार्थी को बसाया जाय। इसलिय जब कभी छोटे छोटे किसानों का सवाल पैदा हुआ तो हमने कभी कानून के जरिये से या किसी दूसरे जरिये से शरणार्थी को बसाने के लिये उन की जमीन को नहीं लिया। हां जहां बड़े बड़े जमींदारों की जमीनों का सवाल आया जिन के पास उन की जरूरत से ज्यादा जमीनें हैं और खाली पड़ी हुई हैं, तो हम ने उन को हासिल किया। चनांचे अभी सुनारपुर स्कीम नम्बर १ में पहले हम ७००० एकड़ का रकबा लेना चाहते थे लेकिन जब वहां के लोगों की शिकायत आई तो हम ने उस में से ज्यादातर रकबा छोड़ दिया और कुल १५०० एकड़

[श्री ए० पी० जैन]

रक़बा हम ने लिया । हालांकि वाक़या यह है कि वह ज़मीन नमकीले पानी के नीचे थी और वह किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी यह छोटे छोटे आदमियों की ज़मीन का मामला था इसलिये उन की ज़मीनों को नहीं लिया गया । हमारी पालिसी यह है कि चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो उस की उस ज़मीन को ले कर जिस पर कि उस का निर्वाह होता है किसी शरणार्थी को नहीं बसाना चाहते ।

मेवों का सवाल भी यहां पर उठाया गया । मैं इतमीनान से इस हाउस के अन्दर यह कह सकता हूं कि हम ने मेवों को बसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी । मेव दो इलाकों में थे, एक मत्स्य में, अलवर और भरतपुर में, और दूसरे गुड़गांवा में । मत्स्य यानी अलवर और भरतपुर में, हम ने ९१,९७१ मेवों को उन की ज़मीन वापस कर दी या बराबर मालियत की ज़मीन उन को दे दी । कुछ थोड़े से परिवार हैं, मुमकिन है कि हज़ार हों या इस के लगभग हों, जिन्हों ने बराबर की ज़मीन लेने से इनकार किया । मैं खुद वहां पर गया । मैं ने उन को समझाया कि जो पुरुषार्थी ज़मीनों पर तीन चार वर्ष से बैठे हुए हैं, उन को हटाना तो एक और मुसीबत को पैदा करना होगा, उन को बड़ी तकलीफ होगी, इसलिये वह बराबर मालियत की ज़मीन ले लें । कुछ लोगों ने उन को बहकाया, कुछ ने इनकार किया, कुछ ने ज़मीन को ले लिया । हम उस समस्या को हल कर रहे हैं और जहां तक कि मत्स्य के मेवों का ताल्लुक़ है, मेरा अपना अन्दाज़ यह है कि ५ फ़ी सदी उन की समस्या रह गई है और वह भी हम जल्दी हल कर देंगे ।

गुड़गांव में ५,९४७ दरख्वास्तें ज़मीनों और मकानों को वापस करने की मेवों की तरफ़ से की गई, जिन में से ४,९९३ मेवों को उन की ज़मीनें और मकान वापस कर दिये गये, ७४६ की दरख्वास्तें खारिज हुई और वह माक़ूल वजूहात से हुई, २०८ दरख्वास्तें वहां पर बाक़ी हैं और उन की भी सुनवाई हो रही है ।

जो आंकड़े इस वक्त हाउस के सामने मैं ने पेश किये उन से यह अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि हम ने इस में कोई देरी नहीं की, कोई सुस्ती नहीं की और एक बड़ी हद तक इस मसले को हल कर दिया है । पिछली बार, जिस वक्त कि डिप्टी मिनिस्टर वहां पर गये थे, मेव चाहते थे कि कुछ मामले दोबारा खोले जायें । आम तौर से हमारी यह पालिसी नहीं है कि जिस मामले का फ़ैसला हो गया, उस को दोबारा खोला जाय । लेकिन अगर कोई नई शहादत उन के इल्म में आई है कि जिस से पहला फ़ैसला रद्द किया जा सकता है तो हम उस मामले को खोलने के लिये तैयार हैं । मैं समझता हूं कि जो हम ने मेवों के सिलसिले में किया वह एक काफ़ी हद तक क़ाबिले इतमीनान है और उस के बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहियें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : आप ने जो हुक्म दिया है, उस के मुताबिक़ क्या कोई आफ़िसर मुक़र्रर होगा कि जिस को वहां दरख्वास्तें दी जायें ?

श्री ए० पी० जैन : अफसर मुक़र्रर है, एक रैवन्यू असिस्टेंट काम कर रहा है गुड़गांव में ।

अब, जनाब, मसला है इवैक्यूई प्रापर्टी का । इस के बारे में कई आनरेबिल मैम्बरों ने ज़िक्र किया और आज मैं तकलीफ के साथ यह कहता हूं कि बावजूद हमारी

वर्ष की कोशिश के हम इवैक्यूई प्रापर्टी के मसले को हल नहीं कर पाये । हम ने हर मुमकिन तरीक़े से पाकिस्तान से फ़ैसला करने की कोशिश की । लेकिन पाकिस्तान ने कभी कोई माक़ूल रवैया अख्तियार नहीं किया । सन् १९५० में कानफ़ैंस हुई । उस में चल सम्पत्ति के बारे में हमारे कुछ फ़ैसले हुए । उन के ऊपर अमल नहीं हुआ । जुलाई, अगस्त ५३ में यहां से फिर हमारे रिप्रैजंटेटिव कराची गये और चलसम्पत्ति के बारे में वहां उन्हों ने कुछ फ़ैसले किये । लेकिन जो चल सम्पत्ति के बड़े बड़े सवाल थे, उन का वहां पर फ़ैसला नहीं हुआ, लाकर्स का, सेफ़ कस्टडी डिपाज़िट्स का, रजिस्टर्ड कम्पनियों की जायदादें वापस करने का या उन को मुआवज़ा देने का, सिक्योरिटीज़, शेयर्स वग़ैरह का, इन के सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं हुआ । और यही बड़े बड़े सवाल थे । फिर भी जो कुछ फ़ैसले हुए उन के ऊपर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं । लेकिन जो असली सवाल है, यानी जोतने वाली ज़मीन का, एग्रीकल्चर लैंड का और शहरी अचल सम्पत्ति का, उस के बारे में आज तक कभी पाकिस्तान ने कोई माक़ूल जवाब हम को नहीं दिया । हम बराबर उन से कहते हैं कि इन दोनों जायदादों को जोकि पाकिस्तान में और हिन्दुस्तान में हैं, उन को गवर्नमेंटल लविल के ऊपर बदल दिया जाय, यानी वह तमाम ज़मीनों और मकानों की मिल्कियत वहां पर ले लें और हम तमाम ज़मीन और मकानों की मिल्कियत यहां पर ले लें । मोटे तौर से दोनों की क़ीमत का अन्दाज़ा लगाया जाय और जिस को रुपया लेना देना है, वह ले दे लिया जाय । हम ने कभी इस के ऊपर भी इसरार नहीं किया, ज़िद्द नहीं की कि दोनों की कीमतों में जो फ़र्क़ हो वह आख़िरी कौड़ी तक वसूल किया जायेगा । हम ने कहा कि एक रक़म तय कर ली जाय और उसे एक मुल्क दूसरे मुल्क को दे दे, यानी मक़ब्ज़ा मुल्क दूसरे मुल्क को दे दे । उन्हों ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया । उन का बराबर कहना यह है कि इन जायदादों के मालिक अलहदा अलहदा तबदील कर लें । यह बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है । तमाम ज़मीनों पर क़ब्ज़ा हो गया, चार चार, पांच पांच वर्ष से इधर भी लोग उन पर बैठे हुए हैं, उधर भी बैठे हुए हैं । यह किस तरह से मुमकिन हो सकता है कि ज़मीनें तबदील हो सकें । मकानों में भी लोग आबाद हैं किस तरह से उन मकानों की तबदीली हो सकती है । इस के अलावा तीन लाख मकान इधर हैं और पांच लाख के क़रीब मकान उधर हैं । इतनी बड़ी तादाद में कैसे मालिक एक जगह से जा कर दूसरी जगह बेच सकते हैं । और मान लीजिये कि यह ममकिन भी हो जाय कि हर एक आदमी यहां से जा कर अपनी ज़मीन और मकान को बेच ले और वहां से आ कर अपनी ज़मीन और मकान को यहां बेच ले, तो सवाल यह पैदा होता है कि जिस मुल्क में जायदाद ज्यादा है, वहां पर कुछ जायदाद बाक़ी बचेगी, उस का क्या फ़ैसला होगा । चनांचे हम ने पाकिस्तान से कहा कि थोड़ी सी देर के लिये इस को मान भी लें, हालांकि हम इस को मुमकिन नहीं समझते कि तमाम ज़मीनों और तमाम मकानात की जो हिन्दुस्तान के अन्दर हैं उन की तबदीली कर ली जाय उन मकानों और ज़मीनों से कि जो पाकिस्तान में हैं, लेकिन फिर भी जो वहां ज़मीन और मकान बाक़ी रहेंगे उन के बारे में आप क्या कहते हैं ? असल बात यह है कि हमारे यहां एक गंवारू कहावत है : "देनी आई बुनाई बता बतावे सूत", बुनाई का वक्त देने का, आया तो सूत ही कम बताते हैं । यही सवाल यहां पर है । चूंकि वह जानते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा जायदाद वहां पर है, बहुत

[श्री ए० पी० जैन]

ज्यादा जमीन है, उन को रुपया देना पड़ेगा, तो वह फ़ैसला नहीं कर रहे हैं । बिल्कुल साफ़ बात है ।

हमारे मुल्क के अन्दर मकानात गिर रहे हैं । हर बरसात में बड़ी तादाद में मकान गिर जाते हैं । हम ने पिछले दिनों कुछ मकान जो गिरने वाले थे, बहुत खराब हालत में थे, उन को बेचने का सिलसिला जारी किया । पाकिस्तान ने उस पर प्रोटैस्ट किया कि हम सन् १९४९ के वादे के खिलाफ़ काम कर रहे हैं । हम ने उन को रोक दिया । लेकिन हम यह समझते हैं कि जायदाद को बरबाद होने देना नामुनासिब होगा । हमारे सब्र का प्याला भर गया है । कोई और रास्ता हम को नजर नहीं आता कि जिस से हमारा काम बने और पाकिस्तान में और हमारे यहां जो जायदादें हैं उन का मामला फ़ैसल हो जाय ।

इधर शरणार्थियों से हम ने इस बात का वायदा किया कि हम उन को मुआविजा देंगे, कोई मुआविजे की स्कीम कामयाब नहीं हो सकती जिस वक्त तक कि जायदादों के ऊपर जो लोग चले गये हैं उन की मिल्कियत के हक़ को खत्म न किया जाय, तो तमाम चीजों को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि जब हम को जहां तक मुमकिन हो सके एक फ़ैसले के साथ और अगर वह मुमकिन न हो तो एक तरफ़ा फ़ैसला हमें करना होगा, कब तक ये जायदादें पड़ी रहेंगी, कब तक यह मामला खटाई में पड़ा रहेगा, इस चीज पर गवर्नमेंट ग़ौर कर रही है । इसी के साथ में एक सवाल और पैदा हो जाता है । कल पाकिस्तान के रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर ने इवैकूयी प्रापरटी ला को खत्म करने के लिये कहा, हम ने तो अपनी राय बहुत पहले इस बारे में जाहिर कर दी थी कि इवैकूयी प्रापरटी का सारा मामला खत्म कर दिया जाय, जो इवैकूयी प्रापरटी है इस का मामला तय किया जाय, इवैकूयी प्रापरटी के क़ानून को खत्म करना चाहिये । जाहिर है कि इवैकूयी प्रापरटी ला एक ग़ैर मामूली क़ानून है । मामूली तौर से किसी मुल्क के स्टेचूट में इस तरह का क़ानून नहीं होता । बंटवारा हुए भी सात वर्ष हो गये, कब तक यह क़ानून चलेगा ? आज यह क़ानून किस के खिलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है ? जितने जाने वाले थे वह क़रीब क़रीब जा चुके, कुछ थोड़े बहुत जाते भी हैं तो कोई जायदाद वाले ज्यादा नहीं जा रहे हैं । अब इस क़ानून का जो कुछ भी असर है वह उन लोगों पर है जो यहां पर हैं और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है जब इवैकूयी प्रापरटी और जो इस के क़ानून हैं, उन सब का ही हम को फ़ैसला करना चाहिये । यह चीज इस वक्त गवर्नमेंट के सामने है, इस के ऊपर ग़ौर हो रहा है और इस का फ़ैसला होगा ।

एक छोटी सी बात थी, उस के बारे में एक दो शब्द कह कर खत्म करूंगा । श्री नन्द लाल इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं हैं, उन्हों ने कहा था कि जो जायदादें हमारी बनाई हुई हैं और जो हम शरणार्थियों को बेच रहे हैं, उन को नफ़ा ले कर हम बेच रहे हैं । मुझे अफ़सोस है कि उन्हों ने ऐसी बात कही, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि हम इस के ऊपर कोई नफ़ा नहीं ले रहे हैं । जितने की जायदाद हुई उतने के ऊपर हम ने उन को बेचा । सरदार हुक्म सिंह ने इसी बात की शिकायत की कि पटेल नगर में और कुछ जगह जायदादों की क़ीमत कायम करने में देरी हो रही है, यह चीज खुद इस बात की शहादत है कि हम ठीक हिसाब लगा कर इन जायदादों को

देते रहे हैं, लेकिन इस मौक़े पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जायदादों की अब हालत पलट गई है, ये जायदादें उस पूल में चली गई हैं कि जो उन पुरुषार्थियों के दरमियान में बंटनी हैं जिन के कि क्लेम्स हैं। जायदादें जो बनी हैं उन में से कुछ की तो क़ीमतें बढ़ गई हैं, कुछ की क़ीमतें नहीं बढ़ी हैं और कुछ जायदादें ऐसी हैं जिन की कि क़ीमतें घटी हैं। मेरे वास्ते यह ग़ैर मुनासिब होगा कि राजेन्द्र नगर या पटेल नगर में उसी क़ीमत पर मकान बेचे जावें कि जिस क़ीमत पर मालवीय नगर या कालका जी दिये जावें, क्योंकि दोनों जगहों की बाज़ारी क़ीमतों में बहुत फ़र्क है। आइन्दा जो बाज़ारी क़ीमतें हैं उन पर इन जायदादों को दिया जावेगा और इस बात को मैं इसलिये साफ़ करना चाहता था कि लोग जान जायें कि हम क्या करने वाले हैं, अब तक जो हम ने किया वह बतला दिया और आयन्दा जो हम करने वाले हैं वह भी बतला दिया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मड हट्स के गरीब रहने वालों के बारे में मैं ने आप की खिदमत में अर्ज़ किया था, उन के बारे में तो कुछ कह दीजिये।

श्री ए० पी० जैन : मैं ने पंडित जी को खुद बतला दिया था कि बाक़ी जो मकान रह गया है उस के वास्ते हम ने पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब को अख्तियार दे दिया है कि वह जहां मुनासिब समझें रियाअत दे दें, जिस तरह से चाहे दे दें और मैं पंडित जी से कहूंगा कि बजाय यहां सवाल उठाने के मुनासिब यह होगा कि वह पंजाब के मिनिस्टर से बातचीत कर लें। मुझे उम्मीद है कि वह उन को पूरी तसल्ली दे सकेंगे।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि हरिजनों के बारे में जो यह सवाल उठाया गया था कि हरिजन लोग बहुत अवनत दशा में पड़े हुए हैं, उन को मकान नहीं मिले हैं, उन के बारे में आप का क्या ख्याल है ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे तो इस के बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली में जिस वक्त मकान देते हैं तो उस में हरिजन और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क नहीं करते, एक हिसाब से सब को दिये जा रहे हैं। अगर कोई ऐसे हरिजन हों तो मुझे बतलाया जाय, मैं उन के वास्ते ज़रूर इन्तज़ाम करूंगा।

श्री नवल प्रभाकर : क्या यह वाक़या नहीं है कि हरिजनों को केवल एक कमरे वाले मकान दिये जाते हैं और दूसरे लोगों को बहुत बड़े बड़े मकान दिये जाते हैं ?

Shrimati Renu Chakravartty: Many concessions have been given to the refugees from West Pakistan while...

Mr. Deputy-Speaker: How can two hon. Members speak simultaneously?

श्री ए० पी० जैन : मैं आनरेबुल मैम्बर का बहुत मशकूर हूं कि उन्हों ने बहुत सारी बातें सुझाई कुछ के मैंने जवाब दे दिये हैं और कुछ अगर बाकी रह गये हैं तो मैं उनके बारें में सोचूंगा और उसमें जो कुछ हो सकेगा करूंगा।

Shrimati Renu Chakravartty: There are lakhs of refugees in the squatters' colonies, and I really thought he would say a few words as to how long it is going to take for the regularisation of these colonies, as well as a certain amount of help to refugees from East Pakistan by way of loans as it has been given for refugees from West Pakistan.

Mr. Deputy-Speaker: I cannot allow this discussion endlessly. There is the Labour Ministry. The hon. Minister has said enough. If he has not said enough, advantage may be taken of other opportunities.

Mr. Deputy-Speaker: I will now put all the cut motions relating to

the Rehabilitation Ministry to the vote of the House.

The cut motions were negatived.

Mr. Deputy-Speaker: Now, I will put the Demands to the vote of the House

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper in respect of Demands Nos. 85, 86, 87 and 133 be granted to the President to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of the corresponding heads of Demands entered in the second column thereof."

The motion was adopted.

[*The motions for Demands for Grants which were adopted by the House are reproduced below.*—Ed. of P.P.]

DEMAND NO. 85—MINISTRY OF REHABILITATION

"That a sum not exceeding Rs. 18,42,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of 'Ministry of Rehabilitation'."

DEMAND NO. 86—EXPENDITURE ON DISPLACED PERSONS

"That a sum not exceeding Rs. 9,38,22,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of 'Expenditure on Displaced Persons'."

DEMAND NO. 87—MISCELLANEOUS EXPENDITURE UNDER THE MINISTRY OF REHABILITATION

"That a sum not exceeding Rs. 27,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of 'Miscellaneous Expenditure under the Ministry of Rehabilitation'."

DEMAND NO. 133—CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF REHABILITATION

"That a sum not exceeding Rs. 3,73,54,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Rehabilitation'."

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

PRESENTATION OF FIFTH REPORT

Shri Altekar (North Satara): I beg to present the Fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

DEMANDS* FOR GRANTS—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up the Demands for Grants for the Ministry of Labour. I will place the Demands formally before the House.

DEMAND NO. 65—MINISTRY OF LABOUR

Mr. Deputy-Speaker: Motion is:

"That a sum not exceeding Rs. 28,99,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1955, in respect of 'Ministry of Labour'."

DEMAND NO. 66—CHIEF INSPECTOR OF MINES

Mr. Deputy-Speaker: Motion is:

"That a sum not exceeding Rs. 8,73,000 be granted to the

*Moved with the previous sanction of the President.